

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 03.10.2026

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ खलीलाबाद एवं प्रभारी यातायात द्वारा साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” के तहत वाहनों की सघन चेकिंग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में महिला सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ खलीलाबाद प्रियंबदा सिंह एवं प्रभारी यातायात श्री परमहंस द्वारा संयुक्त रूप से साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” (Meet & Greet) चलाकर वाहनों की सघन चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान विशेष रूप से नशे की हालत में वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) का न होना, फटी/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वाले वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा अपने वाहन के आवश्यक दस्तावेज एवं नम्बर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु जागरूक किया गया।

अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं आमजन की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाना तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। साथ ही टीम द्वारा वाहन चालकों से संवाद कर यात्रा के दौरान उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी भी ली गई।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 03.10.2026

साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को थाना महुली पुलिस ने दिलाई ₹4998/- की धनराशि वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित क्राइम साइबर क्राइम अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना महुली साइबर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़िता के खाते में 4998/- रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी अभी यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी ग्राम झिंगुरापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे फोन पर अनजान यूआरएल लिंक आई जिसे खोलतो ही मेरा मोबाइल हैक हो गया और पैसे काट कर 4998/- रु0 ठग लिया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा दिनांक 30.09.2026 को शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से सहायता की मांग की गई थी।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। टीम द्वारा निरंतर किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 03.10.2026 को पीड़ित के खाते में ₹4998/- की संपूर्ण धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना की गई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता ने थाना महुली पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

कार्यवाही करने वाली टीम :- - थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, साइबर प्रभारी महुली- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, कां0 अंकित पटेल, कां0 सोनू यादव, कां0 मनोज यादव।

जनता से अपील-

- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा यूपीआई पिन साझा न करें।
- यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदार या मित्र बनकर फोन पर धनराशि की मांग करे, तो उसकी पहचान वीडियो कॉल अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद ही कोई भुगतान करें।
- साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर अथवा भावनात्मक दबाव बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहें।
- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

संतकबीरनगर पुलिस — साइबर अपराध के विरुद्ध सतर्क, सक्रिय एवं प्रतिबद्ध।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 03.10.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में वांछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 801/2026 धारा115(2)/352/351(3)/109(1) बी0एन0एस0 में वांछित बाल अपचारी को उसके घर से नियमानुसार निरुद्ध कर मा0 बाल न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गयी कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादिनी के बच्चे के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 03.10.2026 को वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार निरुद्ध मा0 बाल न्यायालय रवाना किया गया।

निरुद्ध करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 अरविन्द तिवारी, का0 अमित कुमार।